देश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल रहे। बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2022 को पेश हो।	
22.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस के दौरान आवेदक वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि पुरानी नक्शा ट्रेस सन् 1953 में सही बना हुआ था, वर्तमान बन्दोबस्त कार्यवाही में बन्दोबस्त विभाग ने पुरानी नक्शा ट्रेस के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस कायम नहीं की। अतः ग्राम पोषाणा के भूमि खसरा नम्बर पुराना 207 जिसके नये खसरा नम्बर 298 है, की नक्शा ट्रेस पुराने राजस्व नक्शे की तरह से नक्शा ट्रेस दुरूस्त की जानी प्रार्थनीय हैं। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना में अंकित भूमि की उत्तरी, पश्चिमी व दक्षिणी सीमाओं पर नई नक्शा सीट व पुरानी नक्शा सीट व मौका स्थिति में कोई अन्तर नहीं है किन्तु पूर्वी सीमा पर बिन्दु सं. B – C व D–E (नई शीट में) का कुल योग 88 + 64 = 152 मीटर, पुरानी नक्शा सीट अनुसार 84 + 76 = 160 मीटर व मौका स्थिति 89 + 69 = 158 मीटर हैं। अतः कुल लम्बाई में नई नक्शा शीट में 152 मीटर व पुरानी नक्शा शीट में 160 मीटर व मौके पर 158 मीटर पायी गई। नई शीट में पुरानी शीट से 8 मीटर कम हैं था मौके पर पुरानी शीट से 2 मीटर कम पायी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर की नई नक्शा सीट व पुरानी नक्शा सीट में पूर्वी सीमा पर अंतर हैं। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं। **आदेश** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल.आर. एक्ट सपठित Under Rule 142 Rajasthan Revenue Court Manual, 1956 स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम पोषाणा के भूमि खसरा नम्बर पुराना 207 जिसके नये खसरा नम्बर 298 है0 की नक्शा ट्रेस पुराने राजस्व नक्शे की तरह से नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2023.02.13 12:39:51 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी (रामसिंह राजावत) उदयपुरवाटी	